जसवीरसिंह बनाम अमरसिंह आदि 212 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
19.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के दादा बसन्तसिंह के नाम भी जो वर्तमान बसन्तसिंह के फौत होने के बाद विरास्तन प्रार्थी के पिता अमरसिंह के नाम सयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता होने के कारण दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। जिसकी प्रार्थी घोषणा करवाने का अधिकारी है। इसलिये दिनांक 06.12.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कनफर्म की जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि भूमि नहीं है। अप्रार्थी के पिता बसन्तसिंह ने अपने जीवनकाल में एक दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 11.06.2024 को अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवाया था। बसन्तसिंह की मृत्यु के बाद वसीयतनामा के आधार पर उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई थी। इसलिये उक्त भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध झुठा वाद प्रस्तुत किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे। वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 को जरिये वसीयत प्राप्त हुई भूमि है। जो उसकी स्वअर्जित सम्पति है। अप्रार्थी को अपनी भूमि को रहन बैय करने का अधिकार है क्योंकि वाद भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, साम्य न्याय का सिद्धान्त व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः उपरोक्त विवेचन आदि के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.21 18:22:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner